अनुमोदन हेतु आदेश प्रारूप

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषण शाखा कृपया निर्गत करें।
आदेश
8-01-18
8/1/18

का०आ०सं०–प्र03 / सी0 7–17 / 2017 पटना, दिनांक 08/1/18

कार्यालय आदेश – 05

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या – 4685 दिनांक 25.06.2003 से निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली – 2003 एवं अधिसूचना संख्या–769, वि0(2) दिनांक 28.01.2008 द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) संशोधन नियमावली–2007 में दिये गये प्रावधान एवं वित्त विभाग, बिहार के संकल्प सं0–3 ए–5–से0 नि0–05 / 04–1493 दिनांक 22.02.2008 के आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन दिनांक–29.12.2017 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की परिचालन विधि से प्राप्त अनुशंसा के अनुरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत विभागीय कनीय अभियंता (असैनिक) सम्वर्ग (वेतनमान रू0 5000–8000 / –) के निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की प्रभावी तिथि 09.08.1999 के आलोक में 12 वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से प्रथम एवं 24 वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन उनके नाम के सामने कॉलम–5 एवं कॉलम–6 में अंकित तिथि से क्रमशः प्रथम वृत्ति उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान रूपये 6500–10500 / –) एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान रूपये 10000–15200 / –) की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 सं0	कनीय अभियंता का नाम	वरीयता क्रमांक वर्ष 2009	कनीय अभियंता के पद पर प्रथम योगदान की तिथि	ए०सी०पी० का विवरण	
				प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (12 वर्ष) 6500–10500 रू0	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (24 वर्ष) 10,000–15,200 रू0
1	2	3	4	5	6
1	श्री टीपन प्रसाद सिंह	853 (xxxiv)	06-07-1971	09.08.1999	09.08.1999

2. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गई राशि / अंतर राशि की वसूली कर ली जायेगी।

3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

4. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरांत स्वीकृत लाभों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्तगी, दंडादेश जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन को प्रभावित करता हो) पाया गया तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

5. जिन कर्मियों की सेवा संपुष्टि / स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ है एवं सेवापुस्त में अंकित नहीं है, उन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का निर्धारण पूर्व सेवा संपुष्टि / स्थायीकरण संबंधित मामला विभाग को भेजा जाय। स्थायीकरण / सेवा संपुष्टि के पश्चात् ही वेतन निर्धारण संबंधी कार्रवाई की जाय।

6. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मी का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम–8 के अनुसार किया जाना है। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम–22 (i)(ए)(i) के प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उक्त नियमावली के नियम–8 के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

P.T.O

7. वित्तीय उन्नयन की देय तिथि के पूर्व पदत्याग/मृत/सेवा निवृत्त/बर्खास्त (न्यायालयीय आदेश से सेवा में पुनः बने रहने सबंधी आदेश को छोड़कर) एवं वर्त्तमान से निलंबित अभियंताओं के लिए यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(क) वैसे कनीय अभियंता, जिन्हें प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन के पूर्व सहायक अभियंता के रूप में नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो गयी है, उन्हें प्रथम वित्तीय उन्नयन देय नहीं होगा।

(ख) वैसे कनीय अभियंता, जिन्हें देय तिथि से पूर्व कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो गई है, को द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय नहीं होगा।

8. उप अधिदर्शक/सर्वेयर आदि पदों से कनीय अभियंता के पद पर प्रोन्नत कर्मियों का मामला प्रकाश में आने पर वैसे कर्मियों की सेवापुस्त के साथ पूरे मामले को विभाग में उपलब्ध कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

5/1/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03/सी0 7–17/2017 169 (E) पटना, दिनांक 8/1/18
प्रतिलिपि–महालेखाकर (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग (वित्त विभाग), बिहार, पटना को एक–एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03/सी07–17/2017 169 (E) पटना, दिनांक 8/1/18
प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र03/सी07–17/2017 169 (E) पटना, दिनांक 8/1/18
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 6 एवं 13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री टीपन प्रसाद सिंह, सेवा निवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03/सी07–17/2017 169 (E) पटना, दिनांक 8/1/18
प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5/1/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

05-01-18 05/01/2018

D:\Section_03-\Amit Kr\Girish-01\ACP _July 2012-1\ACP Final of Prichalan Vidhi_2012\Teepan Prasad Singh_Dec-2017\Order_Nov-2017.docx